न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 52/2022, जिला दौसा

1. रतीराम पुत्र जुबाली जाति मीना, निवासी अकबरपुर, तहसील महुवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय महुवा जरिये प्राचार्य डॉ. भीमराज अम्बेडकर, राजकीय महाविद्यालय, महुवा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 08.06.2022 जिसके तहत ग्राम अकबरपुर तहसील महुवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 7.89 है0 में से 0.85 है0 व खसरा नम्बर 335/32 रकबा 0.80 है0 में से 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि को रेस्पो. नंबर 2 को भवना निर्माणार्थ राजस्थान भू राजस्व स्कूल कॉलेजों चिकित्सालयों, धर्मशालाएं व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आंवटन नियम 1963 के तहत आंवटित की गयी है।

उपस्थित—

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो.नं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक —11.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 08.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 23.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि जिला कलक्टर दौसा ने प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय महवा की मांग एवं शासन उप सचिव प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर व संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर व प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर पं.सं. महवा तथा ग्राम पंचायत कमालपुर पं.स. महवा की अनापत्ति एवं तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश व अभिशंषा के आधार पर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 32/1 रकबा 7.89 है0 में से 0.85 है0 व खसरा नम्बर 335/32 रकबा 0.80. है0 (जो पूर्व में रा0प्रा0विद्यालय अकबरपुर हेतु आंवटित की हुई है) में से 0.45 है0कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि में से 0.85 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के नियम—7 यथासंशोधित तथा राजस्व (ग्रुप—6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक F.No. 9(13)Rev-6/2021/76 दिनांक 08.04.2022 के अन्तर्गत चरागाह से खारिज की जाकर तथा उक्त चरागाह भूमि के बदले ग्राम नौरंगवाडा तहसील महवा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1226 रकबा 47.55 है0 में से 0.85 है0 भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित 1.30 है0 भूमि को राजकीय महाविद्यालय महवा के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये प्राचार्य, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय महवा) राजस्थान भू—राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय कृषि भूमि का आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तो के अन्तर्गत आंवटित किये जाने के आदेश पारित किये गये ।

3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 08.06.2022 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट रतीराम पुत्र जुबाली द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 08.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम अकबरपुर तहसील महुवा में स्थित भूमि पूर्व खसरा नम्बर 32 वर्तमान खसरा नम्बर 32/1 में से 0.65 है0 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा अपने पिता के जीवन काल से यानि 50 वर्ष से भी अधिक समय संवत 2021 से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है व आज भी उक्त भूमि पर मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि में बगीची लगा रखी है जिसमें अपीलान्ट ने काफी सारे नीम, पीपल, बबूल, आम, अमरूद, शहतूत, नींबू, कटहे, करूजा, आंवले आदि के काफी सारे पेड लगा रखे है, जो काफी बडे बडे हो रहे है तथा फूल दे रहे हैं तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट के छप्परपोश मकानात बने हुए हैं, लेटरिन, बाथरूम बने हुए है। जिसमें अपीलान्ट मय परिवार निवास करता है, मवेशी बांधता है तथा रेवडा, बलीता व चारा फूस आदि रखता है। उक्त बगीची के चारो तरफ पोल लगाकर तारबंदी कर रखी है तथा उक्त भूमि पर आज दिन मौके पर अपीलांट का कब्जा है। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट से पहले खसरा नम्बर 8 मिन था। उक्त भूमि के कब्जे बाबत संवत 2021 में भी अपीलान्ट का नाम दर्ज हो रहा है। उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम नियमन करने हेतु राजस्व अभियान कैम्प में 28.12.2001 को आवेदन पत्र भी पेश किया था। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट के खिलाफ एक मुकदमा धारा 91 एल.आर.एक्ट का अनुवानी सरकार बनाम रतीराम का मुकदमा नंबर 187/02 दर्ज हुआ और उक्त मुकदमें में नायब तहसीलदार महुवा ने दिनांक 19.06.2002 को अपीलान्ट का पुराना कब्जा मानते हुए नियमन करने की सिफारिश करते हुए उक्त पत्रावली को उप जिला कलेक्टर को भेजा। उक्त पत्रावली उप जिला कलेक्टर के पास पहुंचने पर उप जिला कलेक्टर ने मौके की रिपोर्ट ली एवं खसरा परिवर्तनशील की नकलों को देखने के बाद और उक्त अपीलान्ट के कब्जे की भूमि अपीलान्ट के हक में नियमन की अभिशंषा की। गॉव के कुछ लोग व ग्राम पंचायत का सरपंच अपीलान्ट से रंजिश रखते थे। जिसकी वजह से उक्त लोग अपीलान्ट को नाजायज तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जिसकी वजह से गलत तरीके से अपीलान्ट के कब्जे की भूमि जिसमें बगीची लगी हुई है को नष्ट करवाने के उद्देश्य से गलत तरीके से पूर्व में अपीलान्ट के कब्जे की बगीची वाली भूमि का प्रस्ताव आबादी में परिवर्तन करवाने हेतु करवा दिया तथा जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने बिना कोई जॉच करवाये बिना गलत तरीके से दिनांक 29.01.2002 को उक्त भूमि तत्कालीन खसरा नंबर 32 में से अपीलान्ट के कब्जे की भूमि जिसमें बगीची लगी हुई है को शामिल करते हुए 1.50 है0 भूमि को चरागाह से खारिज कर आबादी में सेटअपार्ट करने का आदेश करवा लिया और जिला कलेक्टर ने कर दिया। अपीलान्ट ने उक्त जिला कलेक्टर दौसा के सेटअपार्ट आदेश दिनांक 29.01.2002 के विरूद्ध अपीलान्ट को जानकारी होते ही अपीलान्ट ने एक अपील 19/2002 अनुवानी रतीराम बनाम राजस्थान सरकार की भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ पेश की और उक्त अपील को दिनांक 24.10.2005 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ने अपनी पूर्ण टिप्पणी करते हुए उक्त अपील को मंजूर किया और जिला कलेक्टर का सेटअपार्ट आदेश दिनांक 29.01.2002 को निरस्त किया और जिला कलेक्टर दौसा को आदेश दिया कि अपीलान्ट को सुनकर आदेश पारित किया जावे और

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त निर्देशों की पालना मे उक्त पत्रावली को पुनः सुनवायी कर निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर दौसा को भिजवायी गयी किन्तु उसके बावजूद भी जिला कलक्टर दौसा ने उक्त अपीलीय न्यायालय के निर्णय की सरासर अवहेलना करके और अपीलान्ट न्यायालय के रिमाण्ड प्रकरण को इस पत्रावली को साथ शामिल नहीं करके और बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व रिमाण्ड प्रकरण पर कोई आदेश पारित किये बिना सेटअपार्ट कर दी जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार व ग्राम पंचायत ने गलत तथ्य प्रस्तुत कराकर भूमि वेकेट लैण्ड हुए बिना अपीलान्ट के कब्जे की भूमि को खाली भूमि दिखाकर और पूर्व में दिये गये प्रस्तावों को अनदेखा करके उक्त आदेश पारित करवाया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी दस्तावेजों को अनदेखा करके और बिना कोई जॉच किये बिना व बिना वास्तविक तथ्यों को देखे बिना व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा भी पुराना सिद्ध है और अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के लिये नियमन की सिफारिश की पत्रावली भी पेन्डिंग है। अधिनस्थ न्यायालय पूर्व में किसी अन्य प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट भूमि को पुनः सेटअपार्ट नहीं कर सकते है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में रा0प्रा0विद्यालय अकबरपुर हेतु आंवटित की हुई भूमि को भी उक्त आंवटन खारिज हुए बिना उक्त आंवटित भूमि में से भूमि को शामिल करते हुए पुनः राजकीय कन्या महाविद्यालय महवा के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये प्राचार्य, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय महवा) को सेटपार्ट करने का आदेश पारित कर दिया। खसरा नम्बर 32 में अपीलान्ट के कब्जे की भूमि के अलावा अन्य बहुत सारी भूमि उपलब्ध है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच नहीं कराकर और स्थिति की जॉच न कराकर गलत तरीके से अपीलान्ट के कब्जे की भूमि को शामिल करते हुए प्रस्तुत की गयी तहसीलदार व ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पर विश्वास करके उक्त निर्णय पारित किया है। कानूनन जिला कलेक्टर दौसा वेकेट लेण्ड भूमि को ही सेटअपार्ट कर सकते थे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के यह पूर्ण जानकारी में था कि उक्त भूमि वेकेट लैण्ड नहीं थी तथा अपीलान्ट ने उक्त सेटअपार्ट नहीं करने व प्रार्थी को सुनवायी व सबूत का अवसर देकर ही आदेश पारित करने व पूर्व की पत्रावलियों को शामिल कर सुनवायी करने बाबत विधिक नोटिस दे देने व उक्त विधिक नोटिस दे देने व उक्त विधिक नोटिस मिल जाने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व पूर्व के रिकार्ड को देखे बिना उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे की भूमि से मौके से बेदखल कर प्रार्थी के निर्माणशुदा मकान में तोड फोड कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा हो रहे है जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी उक्त अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के आदेश दिनांक 08.06.2022 से प्रभावित है। अतः प्रार्थी को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 08.06.2022 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आम जनता ग्राम अकबरपुर तहसील महवा के अनुरोध पर ग्राम पंचायत कमालपुर पंचायत समिति महवा की अभिशंषा, तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व विकास अधिकारी महवा की सिफारिश के आधार पर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 8.39 है0 में से 1.50 है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 यथा संशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज कर बैरवा समाज के कमजोर वर्गो के लिए तथा अन्य आवास विहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसरण में आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। उक्त भूमि राजकीय चरागाह भूमि है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत कमालपुर के सर्वसम्मत प्रस्ताव, तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व विकास अधिकारी पंचायत समिति महवा की सिफारिश के आधार पर उक्त भूमि को विधिवत रूप से चरागाह से खारिज कर आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) किया गया है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में भी तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट श्री रत्तीराम पुत्र जवालीराम मीणा का खसरा नंबर 32 में वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। भूमि राजकीय कन्या महाविद्यालय महवा 1.30 है0 भूमि आंवटित है। उक्त आंवटित भूमि के पास ही 0.35 है0 भूमि पर रा0प्रा.विधालय संचालित है तथा सामने रोड के दूसरी ओर बैरवा समाज के परिवार 0.90 है0 भूमि पर बसे हुए है तथा 0.25 है0 पर सिंचाई विभाग एवं 0.25 है0 भूमि पर पशु औषधालय संचालित है। अपीलार्थी द्वारा नियमन से संबंधित पत्रावली तहसील कार्यालय महवा या उपखंड कार्यालय महवा में प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही कोई पत्रावली विचाराधीन है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय की मांग एवं शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान जयपुर व संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर व प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 अकबरपुर पं.स. महवा तथा ग्राम पंचायत कमालपुर पं.स. महवा की अनापत्ति एवं तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश व अभिशंषा के आधार पर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 7.89 है0 में से 0.85 है0 व खसरा नंबर 335/32 रकबा 0.80 है0 (जो पूर्व में रा0प्रा0वि0 अकबरपुर हेतु आंवटित हुई है) में से 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि को राजकीय कन्या महाविद्यालय, महवा के भवन निर्माणार्थ आंवटित की जा चुकी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय महवा को आंवटित भूमि मौके पर खाली है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2005 द्वारा पुनः सुनवाई कर दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व तहसीलदार महवा की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त कर जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.09.2022 द्वारा अपील अपीलांट खारिज की गई है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2002 यथावत रखा गया है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. अंतिम बहस के साथ–साथ वकील अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 रूल 27 सी.पी.सी. पर एवं मौका कमिश्नर नियुक्त करने पर भी सुनी गयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 रूल 27 सी.पी.सी. के साथ पेश प्रमाणित दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते हैं। प्रा. पत्र मौका कमिश्नर का एवं अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार तहसीलदार महवा जिला दौसा द्वारा दिनांक 05.04.2022 को राजकीय कन्या महाविधालय महवा हेतु आवंटन प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। जिसमें उनके द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार महवा से वर्तमान मौका रिपोर्ट ली गयी है। जिसके अनुसार वर्तमान में भी तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट श्री रत्तीराम पुत्र जवालीराम मीणा का खसरा नंबर 32 में वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार महवा से वर्तमान मौका रिपोर्ट ली गयी है। जिससे उक्त प्रकरण में पुनः मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर खारिज किया जाता है।

8. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट को कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि की किस्म चरागाह है, जिसमें से जिला कलक्टर दौसा के पत्र क्रमांक आर11ए(1) 2002/665 दिनांक 29.1.2002 के द्वारा ग्राम अकबरपुर तहसील महवा के खसरा नम्बर 32 रकबा 8.39 है0 में से 1.50 है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7 यथासंशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज कर बैरवा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तथा अन्य आवास विहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट श्री रत्तीराम पुत्र जवालीराम मीणा का खसरा नंबर 32 में वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। भूमि राजकीय कन्या महाविद्यालय महवा 1.30 है0 भूमि आंवटित है। उक्त आंवटित भूमि के पास ही 0.35 है0 भूमि पर रा0प्रा.विधालय संचालित है तथा सामने रोड के दूसरी ओर बैरवा समाज के परिवार 0.90 है0 भूमि पर बसे हुए है तथा 0.25 है0 पर सिंचाई विभाग एवं 0.25 है0 भूमि पर पशु औषधालय संचालित है। अपीलार्थी द्वारा नियमन से संबंधित पत्रावली तहसील कार्यालय महवा या उपखंड कार्यालय महवा में प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही कोई पत्रावली विचाराधीन है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय की मांग एवं शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान जयपुर व संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर व प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 अकबरपुर पं.स. महवा तथा ग्राम पंचायत कमालपुर पं. स. महवा की अनापत्ति एवं तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश व अभिशंषा के आधार परर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 7.89 है0 में से 0.85 है0 व खसरा नंबर 335/32 रकबा 0.80 है0 (जो पूर्व में रा0प्रा0वि0 अकबरपुर हेतु आंवटित हुई है) में से 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि को राजकीय कन्या महाविद्यालय, महवा के भवन निर्माणार्थ आंवटित की जा चुकी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय महवा को आंवटित भूमि मौके पर खाली है। विवादित भूमि की किस्म चरागाह होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जो कि नियमन योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 326/2022 उनवानी श्री राजस्थान गौ सेवा समिति बनाम राजस्थान राज्य में यह में यह आदेश पारित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि का नियमन नहीं किया जावे। तहसीलदार महवा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अपीलांट का नियमन प्रकरण तहसील कार्यालय महवा या उपखण्ड कार्यालय महवा में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि बेशकीमती भूमि है, जिसको भविष्य में विभिन्न राजकीय कार्यालयों के लिए आरक्षित किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 08.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. मिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner